

# शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक ५२। /स्थापना/विज्ञप्ति/2022

दिनांक १.७.०१.२०२२

## —∴ विज्ञप्ति सूचना पत्र ∴—

- 1) मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ २-५३/२०१७/१/५५ दिनांक १२.०१.२०१८ द्वारा मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम २०१८ के अंतर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अधीन सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं प्रदर्शक के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु आवेदन पत्र शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम के लिए दिनांक ३१.०१.२०२२ सांय ५:०० बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट [www.gmcratlam.org](http://www.gmcratlam.org) एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग की [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।
- 2) आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से Dean and CEO Government Medical college Ratlam ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.) ४५७००१ के कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं एवं अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ई-मेल आई डी [deanratlam@gmail.com](mailto:deanratlam@gmail.com) पर भी भेजा जाना अनिवार्य है।
- 3) आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

डॉ. जितेन्द्र गुप्ता DEAN  
 अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
 शासकीय स्वशासी महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)

# शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम मध्यप्रदेश

क्रमांक ५२२ / स्थापना/विज्ञप्ति/2022

दिनांक १७/१/२०२२

## //विज्ञप्ति//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के अधीन सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं प्रदर्शक के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है :—

प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक  
सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद

३६

क्र.	विभाग	सहप्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	बायोफेमेस्ट्री	-	-	-	-	1	-	-	-
	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	-	-	1	-	-	-
2	पीडियाट्रिक्स	-	-	-	-	-	-	-	1
3	जनरल सर्जरी	-	-	-	-	-	-	1	-
4	स्त्री एवं प्रसूति रोग	-	-	-	-	1	-	-	-
5	निश्चेतना विभाग	1	-	-	-	-	-	-	1
6	मेडिसिन	-	-	-	-	1	-	-	-
7	रेडियोडायग्नोसिस	-	-	-	-	1	-	-	-
8	पी.एम.आर.	-	-	-	-	1	-	-	-
	Total - (10)	1	-	-	-	6	-	1	2

### प्रदर्शक

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद

क्र.	पदनाम	UR	SC	ST	OBC
1	प्रदर्शक	-	-	3	2
	Total - (5)	-	-	3	2

नोट :— पदों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

उपरोक्त चिह्नित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है। — पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है। उक्त सन्दर्भ में रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु नस्ति अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

#### 1. वेतनमान —

#### नियमित नियुक्ति हेतु

प्राध्यापक	—	1,44,200 +डी.ए.
सह प्राध्यापक	—	1,31,400 +डी.ए.
सहायक प्राध्यापक	—	68,900 + डी.ए.
प्रदर्शक	—	57,700 +डी.ए.

टीप — समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भर्ते आदि देय होंगे।

#### 2. आयु सीमा —

प्राध्यापक	—	35 वर्ष
सह प्राध्यापक	—	30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	—	25 वर्ष

  
DEAN  
Government Medical College  
Ratlam (M.P.)

टीप - आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरार होगा।
  - ० जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
4. अहंताये :-
  - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक गद विशेष के लिए निर्धारित अहंता।
  - न्यूनतम अहंताओं के निर्धारण के न्यूपदण्डों की गणना आवेदन दिनांक की अंतिम दिवस तक मान्य की जावेगी।
5. निर्हताये-
  - 5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
  - 5.2 दुश्चरित्र होने पर।
  - 5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
  - 5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
  - 5.5 विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
  - 5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
  - 5.7 कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
  - 5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
  - 5.9 स्वास्थ्य संबंधी - चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
6. सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा स्वशासी महाविद्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेसीडेन्ट डॉक्टर के पद पर संतोषजनक कार्य किया हो तो उसे सीधे नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी।
7. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अहंताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा।
8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
9. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से रटापित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।

23  
DEAN

3  
Government Medical College  
Ratlam (M.P.)

11. यदि कोई चिकित्सा शिक्षक किसी भी शासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पद पर नियुक्त हो चुका है, उसने पदभार ग्रहण ना भी किया हो तो भी वह आगामी तीन वर्षों के लिए किसी भी अन्य शासकीय महाविद्यालय में नियुक्त के लिए अर्हता नहीं रखेगा तथा इसलिए उसे विचारार्थ नहीं लिया जाएगा।
12. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य डिप्लोमा कॉर्सिल अथवा एन.एम.सी. से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
13. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- खशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के लिए आवेदन, Dean & CEO Government Medical college Ratlam ग्राम बंजली, सैलाना रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001 को निर्धारित प्रारूप में दिनांक 31/01/2022 सां� 5:00 बजे तक आवक शाखा में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी खशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.) में जमा कराये जा सकते हैं। अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित स्कैन कराकर खशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ई-मेल आई.डी [deanratlam@gmail.com](mailto:deanratlam@gmail.com) पर भी भेजा जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "खशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन" एवं विषय तथा आवेदित पद का ना और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। साक्षात्कार का संभावित फरवरी माह में अपेक्षित है एवं इस संबंध में आगे की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है, परन्तु उसे समस्त पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।
14. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की दो दो छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवेदन करना।
15. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
16. उपरोक्त जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय खशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की वेबसाइट [www.gmcratlam.org](http://www.gmcratlam.org) एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

**महत्वपूर्ण टीप :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।


**DEAN**  
 डॉ. जितेन्द्र गुप्ता  
 Government Medical College  
 अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यालय (M.P.)  
 खशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम